

06.08.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित।
वकील वरुण प्राची द्वारा मूल वाद नोट
प्रेस किये जाने से प्रकरण का निरन्तरण
हो चुका है। मूल वाद का निरन्तरण
हो जाने से प्रकरण में कोई कार्यवाही
शेष नहीं रहती है। अतः पत्रावली
फैसल शुमार होकर संलग्न मूल
वाद रहे।

२

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा